भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2140

12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य परिचर्या सेवा पर बाढ़ का प्रभाव

†2140. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या असम राज्य में बाढ़ और कटाव की घटनाओं ने स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल की बाढ़ से नुकसान की घटनाओं के दौरान उक्त राज्य में स्वास्थ्य केंद्रों को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य में प्रभावित स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने, उनके पुनर्स्थापन और मजबूती के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित और जारी की गई राशि कितनी है; और

(ङ) देश में बाढ़ के दौरान निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित दीर्घकालिक शमन रणनीति क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ) बाढ़ के कारण स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों के प्रभावित होने और प्रभावित समुदायों की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी जरूरतों में वृद्धि होने से स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

असम राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बाढ़ से क्षतिग्रस्त/प्रभावित स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	स्वास्थ्य सुविधा केंद्रो की संख्या
1	2021-22	03
2	2022-23	279
3	2023-24	0
4	2024-25	32
5	2025-26	23

'जन स्वास्थ्य' राज्य का विषय हैं और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के साथ-साथ ऐसी आपदाओं के जन स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने और उनसे निपटने की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों की है। किसी भी आपदा राहत और अनुक्रिया के साथ-साथ बहाली और पुनर्निर्माण की आवश्यकताएं संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और इसके लिए धन का प्रावधान संबंधित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की आवश्यकताओं के आकलन के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के माध्यम से उनके प्रयासों में सहयोग करती है।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) जन हानि को कम करने के लिए एक लागत प्रभावी बाढ़ निवारण उपाय के रूप में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्बाध आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक निवारण रणनीति के रूप में कार्यान्वयन हेतु सीडब्ल्यूसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग (आरडी एंड जीआर) द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर बाढ़ मैदानों का क्षेत्रीयकरण किया जा रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आपदाओं के कारण उत्पन्न जन स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए संकट प्रबंधन योजना का एक खाका तैयार किया है और इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया है। असम राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग की आपदा प्रबंधन योजना पहले से ही लागू है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बाढ़ की घटनाओं के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जिनमें बाढ़ के कारण होने वाले सामान्य जन स्वास्थ्य प्रभावों, त्वरित आवश्यकता आकलन, बाढ़ के दौरान और बाद के रोगों की निगरानी, विशेष रूप से जल और खाद्य जनित रोगों, वेक्टर जनित रोगों और जल एवं स्वच्छता संबंधी मुद्दों आदि पर विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके अलावा, यह मंत्रालय बाढ़ जैसी आपदाओं सहित जन स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के लिए तैयारी और अनुक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय स्वास्थ्य अधिकारियों का क्षमता निर्माण कर रहा है।

*****